



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63939

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6019/2026

नावेद उर्फ दूल्हा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: सैयद फैज़ हसनैन

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फैज़ हसनैन और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री चंद्रशेखर सरन को सुना और अभिलेख का अध्ययन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक नावेद उर्फ दूल्हा की ओर से दायर की गई है, जिसमें उसे मामला अपराध संख्या 647/2025, धारा 3/5/8 गौ संरक्षण/वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के तहत, जो पुलिस स्टेशन बिलारी, जिला मुरादाबाद में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पंजीकृत है, में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के वकील ने कहा है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में गलत इरादे से फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी और सह-आरोपी आसिफ और सेबू को दूसरे मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और आवेदक का नाम सह-आरोपी आसिफ और सेबू के कबूलनामे में सामने आया है। कहा जाता है कि वध की गई गाय के कुछ नश्वर अवशेष खुले स्थान से बरामद किए गए हैं। आवेदक का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के पैराग्राफ संख्या 8 में स्पष्ट किया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक 08.01.2026 से जेल में बंद है, वह आश्वासन देता है कि अगर उसे रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत फायदा नहीं उठाएगा। यह भी ध्यान दिलाया गया है कि न्यायालय में बहुत सारे मामले होने की वजह से, सुनवाई जल्दी पूरी होने की कोई संभावना नहीं है।

4. प्रति विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. अनजान लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और सह-आरोपी आसिफ और सेबू को दूसरे मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और आवेदक का नाम सह-आरोपी आसिफ और सेबू के कबूलनामे में सामने आया है। कहा जाता है कि काटी गई गाय के कुछ अवशेष खुली जगह से बरामद किए गए हैं। आवेदक का तीन मामलों में आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में जमानत आवेदन के पैराग्राफ नंबर 8 में बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



08.01.2026 से जेल में बंद है, वादा करता है कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और सबूतों से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का मामला बनता है। इसलिए, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक **नावेद उर्फ दूल्हा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

ऐमन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”